मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता–4.0 मिलियन टन/वर्ष (वन भूमि 33 हेक्टेयर), आयरन ओर कन्सेन्ट्रेट एवं स्लरी पाईप लाईन बचेली से नगरनार (दूरी 150 किमी) (24 इंच व्यास) क्षमता–15.0 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

दिनांक 29/04/2015 का कार्यवाही विवरण।

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता–4.0 मिलियन टन/वर्ष (वन भूमि 33 हेक्टेयर), आयरन ओर कन्सेन्ट्रेट एवं स्लरी पाईप लाईन बचेली से नगरनार (दूरी 150 किमी) (24 इंच व्यास) क्षमता–15.0 मिलियन टन/वर्ष के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानानुसार लोकसुनवाई दिनांक 29.04.2015 (29 अप्रैल 2015) दिन बुधवार प्रातः 11.00 बजे, स्थान– छ.ग. शासन, वन विभाग काष्ठागार वन मण्डल दंतेवाड़ा परिसर, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.), में कराई गई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान के अनुसार सर्वसंबंधितों से मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में प्रस्तावित आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट क्षमता–4.0 मिलियन टन/वर्ष (वन भूमि 33 हेक्टेयर), आयरन ओर कन्सेन्ट्रेट एवं स्लरी पाईप लाईन बचेली से नगरनार (दूरी 150 किमी) (24 इंच व्यास) क्षमता–15.0 मिलियन टन/वर्ष के संबंध में सुझाव अथवा विचार 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किये जाने के लिए सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर तथा नई दुनिया समाचार के अंक में दिनांक 27.03.2015 को जनसाधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया।

निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के समक्ष कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। लोक सुनवाई के दौरान 03 हस्ताक्षरयुक्त लिखित आवेदन प्राप्त हुआ।

लोकसुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित जन समुदाय को लोकसुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लोकसुनवाई के प्रथम चरण में प्रबंधन के श्री आलोक कुमार मेहता (महाप्रबंधक प्रोजेक्ट) द्वारा परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कम्पनी द्वारा क्या विकास किया जायेगा एवं परियोजना के

तहत् मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित उद्योग से उत्पन्न होने वाले जल/वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायो की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई।

<u>जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये</u> :–

1. **श्री बोमड़ा राम कवासी, पूर्व सरपंच ग्राम–जवांगा**–29.04.2015 की जनसुनवाई में अपना विचार रखना चाहता हूँ। मै यह पूछना चाहता हूँ कि 33 हे. जमीन बचेली में लेगें या पाइप लाइन का भी उसी में जुडा है। इस प्रोजेक्ट से कितना वन कटेगा? जिस संस्था का जमीन लेगें उसको क्या मिलेगा? पाईप लाइन जिस पंचायत से जायेगा, उस पंचायत का कितना जमीन जायेगी? उस स्थान का पेड़ कटेगा। उसकी क्या व्यवस्था होगी। जिस पंचायत की जमीन जावेगी। जिस किसान की जमीन जावेगी, उसको क्या व्यवस्था किया जावेगा। गांव के प्रभावित हर व्यक्ति से एन.ओ.सी. लिया जाना चाहिए? सभी संस्थानों से एन.ओ.सी. लेना होगा। वन समिति से एन.ओ.सी. लेना होगा तभी पर्यावरण की स्वीकृति मिलना चाहिए। प्रभावित सभी ग्रामीणों से अनुमति लेने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति देने की कार्यवाही की जाये।

2. **श्री करण सिंह ठाकुर पूर्व सरपंच ग्राम–गुमड़ा**–लोक सुनवाई में उपस्थित सभी ग्रामीणों का स्वागत है। इस लोकसनुवाई के बारे में मुझे कोई सूचित नहीं किया है। लोकसुनवाई का स्वागत करता हूँ। जिस किसानों के जमीन से पाईप लाईन जावेगी। उससे सहमति लिया जाये। वन विकास समिति से एन.ओ.सी. लिया जाय। ग्राम पंचायत का विकास हो तथा किसानों की जमीन से पाईप लाईन जाने पर सहमति ली जाये।

3. **श्रीमती मीरा भास्कर सरंपच ग्राम पंचायत भांसी**– लोकसुनवाई के कार्यक्रम में सभी सरपंच सचिव उपस्थित है। हमारे ग्राम पंचायत भांसी के ग्रामीणों को क्या सुविधा, मुआवजा दिया जायेगा। पाईप लाईन से प्रभावित लोगों को नौकरी देगें या नहीं? हमारे ग्रामीण भाईयों को क्या मुआवजा दिया जायेगा। इस बारे में स्पष्ट बोले। धुरली, भांसी के प्रभावित ग्रामीणों को क्या

मुआवजा दिया जावेगा। प्रभावितों को कितने लोगों को नौकरी दी जायेगी? भांसी में कितना जमीन फस रही है। अधिकारियों को स्पष्ट जवाब देना होगा।

4. श्री सुरेष कुमार तामों ग्राम–बड़े कमेली–एन.एम.डी.सी. परियोजना एवं पर्यावरण विभाग से जानकारी चाहता हूॅ कि 33 हे. जमीन के अलावा निजी पट्टे के कितनी जमीन प्रभावित होगी? अगर प्रभावित होगी तो मुआवजा कितना मिलेगा? एन.एम.डी.सी. में नौकरी में हमारे संभाग के लोगों को रखना चाहिए। किरंदुल एवं बचेली में बाहर के लोगो को नौकरी में रखा जाता है। बस्तर संभाग के लोगों को ही नौकरी में रखा जाये। प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाये। सी.एस.आर. निधि से गांव में सड़क निर्माण कराकर ग्रामों को जोड़ा जाये। तथा गांव का विकास किया जाये।

5. शैलेन्द्र ठाकुर दंतेवाड़ा– पाईप लाईन किन–किन गांव से गुजरेगी तथा उन गांवों में क्या विकास कार्य किया जायेगा। क्या बुनियादी सुविधा की जायेगी? विस्थापितों को क्या व्यवस्था किया जावेगा? स्वस्थ्य सुविधा के लिए क्या व्यवस्था किया जायेगा। स्थानीय लोगों को टेक्नीकल, इन्जीनियरिंग की पढ़ाई की व्यवस्था की जाये। दंतेवाड़ा जिले के ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों को भी आई.टी.आई. में सीट बढ़ाया जाय। पाईप लाईन गुजरने के बाद क्या किसान उस पर पुनः खेती कर सकेगा। तथा प्रभावित ग्रामीणों को क्या–क्या बुनियादी सुविधा दी जायेगी।

6. श्रीमती जया कष्यप सरपंच ग्राम पंचायत गामावाड़ा–कई वर्षों से देखते आ रहे है। कि यहां एन.एम.डी.सी. है। मै जन प्रतिनिधि हूॅ। सभी ग्रामीण अपनी समस्या रखे, जिन प्रभावितों के जमीन से पाईप लाईन जा रही है, तो क्या मुआवजा मिलेगा? क्या व्यवस्था किया जायेगा? सभी का स्पष्ट ब्यान दें। एन.एम.डी.सी. को जब भी कभी काम आता है तो सरपंच को याद करते है, तो नियुक्ति के समय हमको क्यो याद नहीं करते? अपने क्षेत्र के विकास के लिए इनके पास जाने पर इनके द्वारा कोई जवाब नही दिया जाता। रैली धरना क्यों लोग कर रहे है, क्योंकि आपके द्वारा कोई सुनवाई नही होती। यह जमीन हमारी है। हमें देना है नहीं देना है, हमारी मर्जी है। एन.एम.डी.सी. में बाहर के लोगों को नौकरी दी जाती है। हमारे पंचायतों के आसपास के लोगों को नौकरी नही दी जाती है। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती। हम चाहते है कि गांव की जिसकी जमीन जाती है उसकी सहमति ली जाये केवल सरपंच, सचिव की सहमति ही नही ली जाये।

लोक सुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा आपत्ति/सुझाव/विचार दर्ज कराया गया, जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जन सामान्य की उपस्थिति लगभग 300 रही एवं उपस्थिति पत्रक में 150 लोगों ने हस्ताक्षर किया। उपस्थित जन समुदाय द्वारा क्षेत्र का विकास किये जाने, षिक्षा, अस्पताल, सड़क, वृक्षारोपण आदि की शर्त के साथ प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरणीय लोकसुनवाई सम्पन्न किया गया।

(डॉ. सुरेश चंद्र)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

(श्री एस.आर. साहू)
अपर कलेक्टर,
जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)